न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोक)

(सुश्री रजनी मीणा आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र संख्याः— 124 / 2019
निर्णय दिनांकः— 06 .01.2021

उनवान

भंवर लाल पुत्र हरीराम जाति गुर्जर निवासी गांगली तहसील उनियारा जिला टोंक —प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोक (राज0) — प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः— 1. श्री सुरेन्द्र कुमार धाकड़ वकील प्रार्थी
2.पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः—

यह कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 95 ख0न0 514 रकबा 0.10 वाके ग्राम गांगली तथा खाता संख्या 94, ख0न0 43 रकबा 7.26 ,ख0न0 48 रकबा 0.93 ख0न0 49 रकबा 0.54,कुल किता 3 कुल रकबा 8.73 है0ग्राम गांगली हिस्सा 1/4 तथा जमाबन्दी खाता संख्या 117 के ख0न0 1039 रकबा 5.42, ख0न0 201 रकबा 3.09 , ख0न0 204 रकबा 6.40 , ख0न0 512 रकबा 0.69 है0 ख0न0 528 रकबा 0.04, ख0न0 रकबा 2.20,ख0न0 996 रकबा 0.04, ख0न0 997 रकबा 2.25 कुल किता 8 कुल रकबा 20.13 है0 वाके ग्राम गांगली तहसील उनियारा जिला टोंक जिसमे प्रार्थी का 1/20 हिस्सा है।प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम भंवर लाल पुत्र हरीराम है जो कि प्रार्थी के आधार कार्ड,पेन कार्ड,फोटो पहचान पत्र,राशनकार्ड व अन्य दस्तावेजात इत्यादि में अंकित है। परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम सहवन से रामबिलास पुत्र हरीराम अंकित कर दिया गया है, जबकि सही नाम भंवर लाल पुत्र हरीराम है ।राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम भंवर लाल पुत्र हरीराम के स्थान पर सहवन से रामबिलास पुत्र हरीराम दर्ज हो जाने के कारण प्रार्थी उक्त आराजी की कृषि उपज समर्थन मूल्य में विक्रय करने,कृषि अनुदान प्राप्त करने व अन्य अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है।

यह कि प्रार्थी की अधियाचना है कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 95 ख0न0 514 रकबा 0.10हे0 वाके ग्राम गांगली तथा खाता संख्या 94, ख0न0 43 रकबा 7.26 ,ख0न0 48 रकबा 0.93 ख0न0 49 रकबा 0.54,कुल किता 3 कुल रकबा 8.73 है0ग्राम गांगली हिस्सा 1/4 तथा जमाबन्दी खाता संख्या 117 के ख0न0 1039 रकबा 5.42, ख0न0 201 रकबा 3.09 , ख0न0 204 रकबा 6.40 , ख0न0 512 रकबा 0.69 है0 ख0न0 528 रकबा 0.04, ख0न0 रकबा 2.20,ख0न0 996 रकबा 0.04, ख0न0 997 रकबा 2.25 कुल किता 8 कुल रकबा 20.13 है0 वाके ग्राम गांगली तहसील उनियारा जिला टोंक में प्रार्थी का नाम रामबिलास पुत्र हरीराम के स्थान पर भंवर लाल पुत्र हरीराम अंकित करवाते हुये राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने का आदेश प्रदान करे।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षी पेरोकार सरकार तहसीलदार उनियारा की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि मुताबिक वर्तमान रिकार्ड के ग्राम गांगली के खाता सं0 94,95 व 177 कुल किता 2 में प्रार्थी का नाम रामबिलास पुत्र हरीराम जाति गुर्जर दर्ज है। मुताबिक ग्रामवासियान व जॉच से रामबिलास पुत्र हरीराम व भंवर लाल पुत्र हरीराम एक ही व्यक्ति है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 खाता संख्या 95 ख0न0 514 रकबा 0.10 वाके ग्राम गांगली तथा खाता संख्या 94, ख0न0 43 रकबा 7.26 ,ख0न0 48 रकबा 0.93 ख0न0 49 रकबा 0.54,कुल किता 3 कुल रकबा 8.73 है0ग्राम गांगली हिस्सा 1/4 तथा जमाबन्दी खाता संख्या 117 के ख0न0 1039 रकबा 5.42, ख0न0 201 रकबा 3.09 , ख0न0 204 रकबा 6.40 , ख0न0 512 रकबा 0.69 है0 ख0न0 528 रकबा 0.04, ख0न0 रकबा 2.20,ख0न0 996 रकबा 0.04, ख0न0 997 रकबा 2.25 कुल किता 8 कुल रकबा 20.13 है0 वाके ग्राम गांगली तहसील उनियारा में प्रार्थी भंवर लाल पुत्र हरीराम जाति गुर्जर साकिन गांगली खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत छायाप्रति आधारकार्ड,भामाशाह कार्ड,परिवार राशनकार्ड में प्रार्थी का नाम भंवर लाल पुत्र हरीराम व छाया प्रति मतदाता फोटो पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम भंवरलाल दर्ज है। तहसीलदार उनियारा द्वारा प्रस्तुत जवाब में भी ग्राम गांगली के खाता सं0 94,95 व 117 में रामबिलास पुत्र हरीराम के स्थान पर भंवर लाल पुत्र हरीराम किये जाने की अभिशंषा की गई है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वह संयुक्त खाता संख्या 94, 95 व 117 वाके ग्राम गांगली तहसील उनियारा जिला टोंक में दर्ज रामबिलास पुत्र हरीराम के स्थान पर भंवर लाल उर्फ रामबिलास पुत्र हरीराम दर्ज कर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। अगर इससे किसी वित्तिय या अन्य किसी संस्था का कोई हित प्रभावित होता है तो सम्बन्धित संस्था को प्रार्थी स्वयं सूचित करेगा।

यह निर्णय आज दिनांक 06.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुश्री रजनी मीणा)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा